राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1273/2017...जिला............जयपुर..

उनवान – मैसर्स राम फर्नीचर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर बनाम 1. सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–III, वृत I, जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ कैम्प–जयपुर **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य**	
14.09.2017	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित। यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथग, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–III, वृत I, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55, व 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 के अन्तर्गत अरोपित कर, शास्ति व ब्याज कुल राशि रूपये 5,15,724/– की मांग सृजित की गई है। उक्त मांग राशि को स्थगित करने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने कुल मांग राशि 5,15,724/– में से राशि रूपये 3,00,000/– को स्थगित करते हुए शेष राशि पर स्थगन देने से इन्कार किया है, जिसके विरूद्ध यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके शेष मांग राशि रूपये 2,15,724/– में से 1,99,194/– को स्थगित निवेदन किया गया है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज राशि पर स्थगन नहीं देने का कोई कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया है, इसलिए प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होने से उन्होंने कर एवं ब्याज राशि पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांतो का हवाला देते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा फर्नीचर की खरीद बिक्री का कार्य किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी फर्म का वर्ष 2015–16 का सर्वेक्षण किया गया, एवं अंकेक्षण के दौरान निकाली गयी असत्यापित बिक्री को अनुचित बताकर मांग राशि का आरोपण किया। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज राशियों पर स्थगन लगातार................2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1273/2017..जिला...........जयपुर.......................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2017	प्रदान नहीं करने के संबंध में किसी भी कारण का उल्लेख नहीं किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह पीठ प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उनके द्वारा चाहा गया स्थगन राशि रूपये 1,99,194/– पर **एक माह** के लिए स्थगन इस शर्त पर प्रदान करती है कि स्थगित राशि के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **दो माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील का सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (मदनलाल मालवीय) सदस्य	